न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– उज्ज्वल राठौड़ , I.A.S.

प्रकरण संख्या –29/2018 (अपील)

GCMS No.- 2018/00104

प्रहलाद पहाडिया आत्मज श्री गोवरीलाल जाति खटीक निवासी ग्राम केवलनगर, उप तहसील मण्डाना, तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)

–अपीलाण्ट.

बनाम

1. सुनीता पत्नि श्री सम्पतराज मेघवाल पुत्री श्री कन्या बाई जाति मेघवाल, निवासी ग्राम रघुवीरपुरा पनवाड, तहसील खानपुर जिला झालावाड
2. पुखराज आत्मज श्री किशोर जाति बैरवा, निवसी ग्राम बीचौलाई, तहसील गंगापुरसिटी, जिला सवाईमाधोपुर (राजस्था)
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा (राजस्थान)

–रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तकरण संख्या –785 दिनांक 24.01.2018 न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा कोटा

उपस्थितः–

1. श्री अतुल वशिष्ठ, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक– 22.09.2021

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा द्वारा ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा में मुताबिक रजिस्ट्री पटवारी रिपोर्ट जांच भू–अभिलेख निरीक्षक, नामान्तकरण संख्या 785 दिनांक 24.1.2018 स्वीकृत किया गया ।

2. उक्त आदेश दिनांक 24.01.2018 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 10.04.2018 को पेश की गई है कि रेस्पोडेन्ट नं0 1 के संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 434 की रकबा 1.13 हे0 तथा खसरा नम्बर 435 की रकबा 0.39 हे0 कुल 2 किता की रकबा 1.52 हे0 वाके ग्राम सोगरिया पटवार हल्का सोगरिया तहसील लाडपुरा में स्थित है । उक्त आराजी में रेस्पोडेन्ट नं0 1 का 1/2 हिस्सा सम्भाग में निहित है । रेस्पो0 नं0 1 द्वारा अपने 1/2 हिस्से को जरिये इकरारनामा दिनांक

जिला कलेक्टर
कोटा

15.12.2017 से अपीलांट को विक्रय कर सम्पूर्ण प्रतिफल राशि अपीलांट से प्राप्त कर एक इकरारनामा दिनांक 15.12.2017 को अपीलांट के पक्ष में निष्पादित करवाया गया जिस इकरारनामा को नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाया गया तथा उक्त इकरारनामा में बतौर गवाह रेस्पोडेन्ट नं0 1 के पति सम्पतराज के हस्ताक्षर है तथा इकरारनामा करने के पश्चात ही अपीलांट को रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा उक्त आराजी पर वास्तवितक व मालिकाना कब्जा सम्भला दिया गया । रेस्पो0 नं0 1 के मन में बदनियती आ जाने के कारण उसने विक्रयशुदा आराजी की सम्पूर्ण विक्रय प्रतिफल राशि अपीलांट से प्राप्त कर और कब्जा सम्भलाये जाने के पश्चात उक्त आराजी के विक्रय का पंजीयन अपीलांट के पक्ष में नहीं करवाया और रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा अपने 1/2 हिस्सा आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.12.2017 से रेस्पोडेन्ट नं0 2 को विक्रय कर दिया है तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट नं0 3 द्वारा रेस्पोडेन्ट नं0 2 के पक्ष में इंतकाल नम्बर 785 दिनांक 24.1.2018 स्वीकृत कर दिया है । उक्त इंतकाल जैर अपील अपीलांट की गैर मौजूदगी में और बिना अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये चुपचाप खोले जाने से इंतकाल की अपीलांट को कभी कोई जानकारी नहीं हुई तथा सर्वप्रथम जानकारी इस सम्बन्ध में पटवारी हल्का के पास नकले लिये जाने पर दिनांक 15.3.2018 को हुई और जानकारी होते ही उसी दिन इंतकाल की नकल का आवेदन पेश किया और दिनांक 22.3.2018 को नकल प्राप्त होते ही आज अविलम्ब अपील माननीय न्यायालय में पेश की जा रही है । जो जानकारी की तिथि 15.3.2018 से अवधि मध्य स्वीकार योग्य है । अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश इंतकाल जैर अपील संख्या 785 दिनांक 24.1.2018 को निरस्त फरमाया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये, नोटिस बाद तामिल प्राप्त । रेस्पोडेन्ट नं0 1 की ओर से लोकेश कुमार शर्मा अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ किन्तु दौराने बहस अनुपस्थित रहे । राजकीय अभिभाषक उपस्थित । रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अनुपस्थिति दर्ज की जाकर वकील अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की गुणावगुण के आधार पर बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नं0 1 के संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 434 की रकबा 1.13 हे0 तथा खसरा नम्बर 435 की रकबा 0.39 हे0 कुल 2 किता की रकबा 1.52 हे0 वाके ग्राम सोगरिया पटवार हल्का सोगरिया तहसील लाडपुरा में स्थित है । उक्त आराजी में रेस्पोडेन्ट नं0 1 का 1/2 हिस्सा सम्भाग में निहित है । रेस्पो0 नं0 1 द्वारा अपने 1/2 हिस्से को जरिये इकरारनामा दिनांक 15.12.2017 से अपीलांट को विक्रय कर सम्पूर्ण प्रतिफल राशि अपीलांट से प्राप्त कर एक इकरारनामा दिनांक 15.12.2017 को अपीलांट के पक्ष में निष्पादित करवाया गया जिस इकरारनामा को नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाया गया तथा उक्त इकरारनामा में बतौर गवाह रेस्पोडेन्ट नं0 1 के पति सम्पतराज के हस्ताक्षर है तथा इकरारनामा करने के पश्चात ही अपीलांट को रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा उक्त आराजी पर वास्तवितक व मालिकाना कब्जा सम्भला दिया गया

जिला कलेक्टर
कोटा

। रेस्पो0 नं0 1 के मन में बदनियती आ जाने के कारण उसने विक्रयशुदा आराजी की सम्पूर्ण विक्रय प्रतिफल राशि अपीलांट से प्राप्त कर और कब्जा सम्भलाये जाने के पश्चात उक्त आराजी के विक्रय का पंजीयन अपीलांट के पक्ष में नहीं करवाया और रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा अपने 1/2 हिस्सा आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.12.2017 से रेस्पोडेन्ट नं0 2 को विक्रय कर दिया है तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट नं0 3 द्वारा रेस्पोडेन्ट नं0 2 के पक्ष में इंतकाल नम्बर 785 दिनांक 24.1.2018 स्वीकृत कर दिया है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना इस तथ्य पर गौर किये कि रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा उक्त विवादग्रस्त आराजी में अपने निहित 1/2 हिस्से को जरिये इकरारनामा दिनांक 15.12.2017 से अपीलांट को विक्रय कर दिया था और कब्जा भी अपीलांट को सम्भला दिया गया था जब रेस्पोडेन्ट नं0 1 का उक्त आराजी के 1/2 हिस्से में कोई हक व हिस्सा ही शेष नहीं रहा तो रेस्पो0 नं0 1 को उक्त विवादग्रस्त आराजी को विक्रय करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 नं0 2 के पक्ष में इंतकाल तस्दीक करने में कानूनी त्रुटि की है जो काबिल निरस्तनीय है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई कब्जे की जांच व ग्रामवासियान के बयान लिये बिना जो इंतकाल रेस्पोडेन्ट नं0 2 के पक्ष में तस्दीक किया है वह काबिल निरस्तनीय है । अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश इंतकाल जैर अपील संख्या 785 दिनांक 24.1.2018 को निरस्त फरमाया जावें ।

5. राजपक्ष की ओर से राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा जिस नामान्तकरण की अपील प्रस्तुत की है वह रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खोला जाकर स्वीकृत किया गया है । इसमें कोई कानूनी त्रुटि या खामी नहीं है । अपीलान्ट द्वारा उक्त विवादित भूमि जर्ये इकरारनामे से क्रय करना बताया है, किन्तु उक्त इकरारनामा भी रजिस्टर्ड नहीं है । ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज योग्य है ।

6. हमने वकील अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । यह अपील नामा0 सं0 785 दिनांक 24.01.2018 के विरूद्ध दिनांक 10.04.2018 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है । उक्त नामा0 की प्रथम जानकारी दिनांक 15.03.2018 को होना बताया है । वकील अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के लिए कोई ठोस कारण मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये है जिससे की अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जा सकें किन्तु न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए इस अपील का निस्तारण हम गुणावगुण के आधार पर करना उचित मानते है । अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए प्रार्थना पत्र लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 स्वीकार किया जाता है ।

7. अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा द्वारा ग्राम सोगरिया में जो नामान्तकरण संख्या 785 दिनांक 24.01.2018 स्वीकृत किया गया है वह

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खोला जाकर स्वीकृत किया गया है ।, राजकीय अभिभाषक के तर्क से हम सहमत है कि नामान्तकरण की प्रकिया में कोई खामी नहीं है । अपीलान्ट का अपील प्रस्तुत करने का आधार कि उक्त विवादग्रस्त भूमि जरिये इकरारनामे के रेस्पो0 नं0 1 द्वारा उनको विक्रय कर दी गई थी, किन्तु रजिस्टर्ड इकरारनामा रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं होने से अपील को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त एवं ठोस आधार नहीं होने से अपील स्वीकार योग्य नहीं पाते है ।

8. **परिणामतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तकरण स्वीकृत करने की प्रकिया में कोई कानूनी त्रुटि नहीं होने से नामान्तकरण सं0 785 दिनांक 24.1.2018 ग्राम सोगरिया में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है ।**

9. निर्णय आज दिनांक 22.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा